

न्यायालय : प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

समक्ष गोपेश गार्

प्रकरण क्रमांक : 03बी/2016

संस्थापन दिनांक 26.11.2015

1 विजयसिंह बंसल पुत्र कुन्दनसिंह आयु 60 साल
निवासी अर्जुन कॉलोनी वार्ड नं0 04 गोहद जिला
भिण्ड

— वादी

बनाम

1 आनन्द कुमार गौड़ पुत्र रमेश गौड़ निवासी ग्राम
खुमान का पुरा मालनपुर के पास तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

— प्रतिवादी

निर्णय

(आज दिनांक..... को घोषित)

1. यह वाद प्रतिवादी से 25,000 /—रुपये मय ब्याज वादी द्वारा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. वाद पत्र के अभिवचन संक्षेप में यह है कि वादी और प्रतिवादी एकदूसरे से अच्छी तरह से परिचित हैं। प्रतिवादी ने धरु खर्चे के लिए आवश्यकता होने पर वादी से पच्चीस हजार रुपये मांगे तब वादी के कहने पर प्रतिवादी ने पच्चीस हजार रुपये ऋण स्वरूप प्राप्त करना व्यक्त किया। दिनांक 10.12.14 को एक प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की दर से वादी ने प्रतिवादी को पच्चीस हजार रुपये दिए और वचन पत्र प्र0पी-1 निष्पादित किया और मांग करने पर धनराशि लौटाने का तय किया गया। वादी ने आवश्यकता पड़ने पर प्रतिवादी से धनराशि की मांग की लेकिन प्रतिवादी ने नहीं दी तब दिनांक 12.03.15 को वादी ने प्रतिवादी को नोटिस प्र0पी-2 दिया तब प्रतिवादी ने दिनांक 15.03.15 को नोटिस का जवाब प्र0पी-6 दिया और दिनांक 25.07.15 तक राशि मय ब्याज वापिस करने के लिए वचन दिया। वादी ने पुनः प्रतिवादी से धनराशि की मांग की तो वह टालता रहा तब वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 27.05.15 को नोटिस भेजा लेकिन प्रतिवादी ने वादी के रुपये नहीं लौटाये। अतः पच्चीस हजार रुपये मूलधन मय एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के प्रतिवादी से वादी को दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

3. प्रतिवादी एकपक्षीय होकर प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।

4. वादी के अभिवचन के आधार पर निम्न विचारणीय प्रश्न विरचित किए जाते हैं जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित किए जा रहे हैं।

विचारणीय प्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या प्रतिवादी ने वादी से दिनांक 10.12.14 को पच्चीस हजार रुपये एक प्रतिशत प्रतिमाह की ब्याज दर से ऋण स्वरूप प्राप्त किए थे ?

2. क्या प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में वचन पत्र प्र0पी-1 निष्पादित किया था ?

3. क्या प्रतिवादी ने वादी को ऋण राशि संदाय नहीं की है।

4. सहायता एवं व्यय ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का सकारण निष्कर्ष //

5. विजय वा0सा01 ने कथन किया है कि प्रतिवादी ने घरू खर्च की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण स्वरूप पच्चीस हजार रुपये एक प्रतिशत प्रतिमाह की ब्याज दर से प्राप्त किया था और वचन पत्र प्र0पी-1 निष्पादित किया था और वादी द्वारा मांग करने पर मूलधन ब्याज सहित प्रतिवादी को लौटाया जाना तय किया था। वादी द्वारा प्रतिवादी से मांगने पर प्रतिवादी ने धनराशि नहीं लौटायी तब वादी ने प्रतिवादी को नोटिस प्र0पी-2 दिया जिसका जवाब प्र0पी-6 प्रतिवादी ने दिया और दिनांक 25.07.15 तक संपूर्ण राशि लौटाने का वचन दिया लेकिन 25.07.15 तक मूल धनराशि ब्याज सहित वादी को नहीं लौटायी तब वादी ने पुनः प्रतिवादी को नोटिस दिया और रुपये की मांग की लेकिन प्रतिवादी ने धनराशि संदाय नहीं की है। केदारप्रसाद वा0सा02 एवं परशुराम वा0सा03 ने भी मुख्यपरीक्षण में विजय के कथन का समर्थन कर प्रतिवादी द्वारा ऋण स्वरूप धनराशि प्राप्त करना और तत्संबंध में वचनपत्र प्र0पी-1 निष्पादित करना बताया है। वचनपत्र प्र0पी-1 पर उक्त दोनों साक्षीगण ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए हैं। प्रतिवादी ने वादी की उक्त मौखिक साक्ष्य को प्रतिपरीक्षण के माध्यम से चुनौती नहीं दी है और ना ही खण्डन में कोई साक्ष्य पेश की है।

6. दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नोटिस प्र0पी-2 व जवाब प्र0पी-6 प्रस्तुत किया है नोटिस प्र0पी-2 के अनुसार वादी ने वचन पत्र प्र0पी-1 के अनुसार धनराशि वापिस प्राप्त करने की मांग की है। जिसमें धनराशि शोध्द रहना उल्लिखित है उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में भी प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः वचन पत्र प्र0पी-1 व नोटिस के जवाब प्र0पी-6 से वादी की मौखिक साक्ष्य का समर्थन होता है कि प्रतिवादी ने वादी से पच्चीस हजार रुपये धनराशि ऋण स्वरूप प्राप्त की और वचन पत्र प्र0पी-1 निष्पादित किया।

7. अतः वादी की उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होता है कि प्रतिवादी ने वादी से पच्चीस हजार रुपये एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ऋण प्राप्त किया और वचन पत्र प्र0पी-1 निष्पादित किया। वचन पत्र प्र0पी-1 के अनुसार मांग करने पर नोटिस प्र0पी-2 के अनुसार प्रतिवादी ने वादी को धनराशि संदाय नहीं की है। जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादी ने वादी को मांग करने पर ऋण धनराशि संदाय नहीं की है।

8. अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02 व 03 का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04 पर सकारण निष्कर्ष //

9. उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों पर प्राप्त विनिश्चय के आधार पर वादी यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि प्रतिवादी ने वादी से पच्चीस हजार रुपये एक प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऋण प्राप्त कर वचन पत्र प्र0पी-1 निष्पादित किया जिसका पालन न करते हुए उसने धनराशि नहीं लौटाई। अतः वाद स्वीकार कर प्रकरण निम्नानुसार आज्ञापित किया जाता है।

1. प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह वादी को मूलधन पच्चीस हजार रुपये संदाय करे।
2. प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह मूलधन पच्चीस हजार रुपये पर दिनांक 10.12.14 से धनराशि लौटाये जाने की दिनांक तक 12 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज संदाय करे।
3. प्रतिवादी स्वयं के साथ वादी का वाद व्यय वहन करेगा जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये।

तदनुसार आज्ञापति बनाई जाये।

दिनांक :-

सही/-

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)